न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
49/2022	22/06/2022	27/07/2023

1. छीतर आयु 58 वर्ष पुत्र नेनगा जाति मीना निवासी किशनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. मदनलाल पुत्र रामकुवाँर पुत्र रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. नेमीचन्द पुत्र रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
4. मुरलीधर पुत्र रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
5. रूक्मणी पुत्री रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
6. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
7. सोहिन्द्र कुमार पुत्र छीतर जाति मीना निवासी किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. योगेन्द्र कुमार पुत्र छीतर जाति मीना निवासी किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
9. तस्वीर पत्नि छीतर जाति मीना निवासी किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 की खाता संख्या 18 में खसरा संख्या 136 रकबा 1.80है0, खसरा संख्या 53 रकबा 4.22है0, खसरा संख्या 6 रकबा 1.75है0, खसरा संख्या 84 रकबा 0.45 है0, कुल 4 किता की 8.22 है0 भूमि स्थित है।

यह कि ग्राम खेडली बोरादा पटवार हलका पीपल्दा खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 28 में खसरा संख्या 13 रकबा 0.96है0 खसरा संख्या 14 रकबा 2.16है0, खसरा संख्या 16 रकबा 1.99है0, खसरा संख्या 238 रकबा 0.40है, खसरा सं0

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

25 रकबा 0.57है0, खसरा संख्या 40 रकबा 1.28है0 कुल 6 किता की 7.36 है0 भूमि स्थित है।

वाद पत्र की चरण संख्या 1(अ) व 1(ब) में वर्णित भूमि को आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 –5 की माता छीता परस्पर सगे भाई–बहिन है। छीता की मृत्यु दिनांक 02.09.2019 को हो चुकी है।

यह कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है। जो वादी को उसके पिता नेनगा से विरासत में प्राप्त हुई है। वादी तथा प्रतिवादी कम 1–5 मीना जाति के सदस्य है, जाकि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दु, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार हिन्दु, उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार पक्षकार शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है, जिसके अधीन मीना जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र होने की स्थिति में, पुत्री को कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार विवादित भूमि में वादी के हितों के मुकाबले, प्रतिवादी कम 1–5 की माता छीता को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं हो सकते है। राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी कम 1–5 की माता छीता के नाम का अंकन विधिविरूद्ध एवं शून्यप्रभावी होने से तद्नुसार विलोपित किए जाने योग्य है। तदर्थ श्रीमान की सेवा में वाद पत्र प्रस्तुत है।

यह कि वादी वाद पत्र की चरण संख्या 1(अ) तथा 1(ब) में वर्णित विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। किन्तु राजस्व अभिलेख में छीता का विधिविरूद्ध एवं शून्यप्रभावी नाम अंकित होने से प्रतिवादी कम 1–5 के मन में बदनियति आ गई है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि में अंकित छीता के स्थान पर प्रतिवादी कम 1–5 स्वयं का नाम दर्ज करवाकर वादी को कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने तथा विवादित भूमि को अन्यत्र संकामित आदि करने पर आमादा है जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वर्तमान दूषित राजस्व अभिलेख की आड में प्रतिवादी कम 1–5 वादी को कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने तथा विवादित भूमि को अन्यत्र संकामित आदि करने की धमकी दे रहे हैं। अतएव विवादित भूमि की रक्षार्थ वादी के लिए प्रतिवादी कम 1–5 के विरूद्ध माननीय न्यायालय की सहायता से स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करवाना आवश्यक हुआ। तदर्थ भी वाद प्रस्तुत है।

यह कि वादी द्वारा छीता 1, 2 का नाम विलोपित करने हेतु प्रतिवादी कम 6 से निवेदन किया गया तो उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ा।

यह कि प्रस्तुत वाद में राज्य के प्रतिनिधि प्रतिवादी, कम संख्या 6 तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद लाने के लिए धारा 80दीं0प्र0सं0 के प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु प्रतिवादी कम 1–5 वादी को विवादित भूमि पर कृषि कार्य करने में लगातार बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करने तथा भूमि अन्यत्र संकामित करने पर आमादा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिए प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिादी कम 6 के विरूद्ध वाद

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80(2)दी0प्र0सं0 के अधीन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण माह जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी कम 1– 5 द्वारा वादी को राजस्व अभिलेख की आड में विवादित भूमि पर कब्जा कर उसे अन्यत्र खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में, विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय का निर्णय एवं डिकी पारित करने की कृपा करें:–

(अ) यह कि वाद की चरण संख्या 1(अ),(ब) में वर्णित भूमि में प्रतिवादी कम 1–5 की माता एवं वादी की बहिन मृतक छीता का नाम वादी के हित में अनुसारतः विलोपित करने की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावें।

(ब) यह कि प्रतिवादी कम 1–5 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिए प्रतिनिधि विवादित भूमि में वादी के शांतिपूर्व कृषि–कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

(स) यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण विवादित भूमि के किसी भाग को अन्यत्र संकामित करने में सफल हो जाये तो उस अन्य संकामण को वादी के हितों के विरूद्ध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाकर वादी को खुला कब्जा दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। वकील श्री हेमन्त शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 दी0प्र0सं0 प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाद पत्र में अंकित विवादित आराजीयात् निर्विवाद पैतृक सम्पति है तथा प्रार्थी कम 1 व 2 को उसके पिता नेनगा से विरासत में प्राप्त होने से वादी तथा प्रार्थी कम 1 व 2 की सहादायिकी सम्पति होने से प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात् में जन्म से अधिकार निहित है, जिसकी घोषणा करवाकर विधिवत विभाजन करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 दी0प्र0सं0 स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा प्रकरण में संशोधित टाईटल पेश हुआ। प्रतिवादीगण 7,8,9 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजीयात् निर्विवाद पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी कम 7,8,9,को उसके पिता नेनगा से विरासत में प्राप्त होने से वादी तथा प्रतिवादी कम 7,8,9 की सहादायिकी सम्पति होने से प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात् में जन्म से अधिकार निहित है, जिसकी धोषणा करवाकर विधिवत विभाजन करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। काननून पैतृक सम्पति मे पुत्रो द्वारा विभाजन का दावा करने की दशा में पत्नि भी समभाग के विभाजन क्लेम करने की अधिकारी होती है। अतः प्रतिवादी कम 9 स्वंय का भी स्वंय के निहित अंश की धोषणा करवार कर विधिवत विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

यह है कि पक्षकार मीना जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जनजाति के अर्न्तगत है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियिम की धारा 2 (2) के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नहीं होता है। वरन् पक्षकार शास्त्रीय हिन्दु विधि से

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रे
इटावा जिला कोटा

शासित होते है, जिसके अधीन पिता की सम्पति में पुत्र होने की स्थिति में, पुत्री को कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं होने से विवादित भूमि में छीता का ही कोई हित निहित ही नहीं होने से प्रतिवादी कम 7, 8, 9 के विरूद्ध प्रतिवादी कम 1–5 को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं है।

यह कि प्रतिवादी कम 7, 8, 9 अपने निहित हिस्से के अनुरूप ही विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नाम न होने से प्रतिवादी कम 7, 8, 9 को भू–सुधार एवं कृषि विकास हेतु, कृषि विकास हेतु, कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है। इन परिस्थितियों में प्रतिवादी कम 7, 8, 9 के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से विवादित भूमि में स्वयं के 1/4–1/4 हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक से विभाजन करवाये। तदर्थ काउन्टर क्लेम है।

यह कि काउन्टर क्लेम का वाद कारण माह सितम्बर 2021 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी कम 7, 8, 9 द्वारा उनके हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु वादी से निवदेन करने पर उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 7, 8, 9 के पक्ष में, विरूद्ध वादी व प्रतिवादी कम 1–6 निम्न आशय का निर्णय एवं डिक्री पारित करने की कृपा करें:–

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1(अ), 1(ब) में वर्णित भूमि में प्रतिवादी कम 7, 8, 9 को 1/4–1/4 हिस्से की भूमि का पृथक्–पृथक् खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार भूमि को विधिवत् विभाजित किया जावे। जिसका राजस्व अभिलेख, नक्शा लठ्ठा में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावें।

यह कि वादी व प्रतिवादी कम 1–6 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिए प्रतिनिधि विवादित भूमि में प्रतिवादी कम 7, 8, 9 के शांतिपूर्ण कृषि–कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति अनुसार राजीनामा पेश निवेदन किया।

यह कि वादी, एवं प्रतिवादी कम 1–5 की माता छीता परस्पर सगे भाई–बहिन है। छीता की मृत्यु दिनांक 02.09.2019 को हो चुकी है। विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है। जो वादी को उसके पिता नेनगा से विरासत में प्राप्त हुई है। वादी तथा प्रतिवादी कम 1–5 मीना जाति के सदस्य है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार पक्षकार शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है, जिसके अधीन मीना जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र होने की स्थिति में, पुत्री को कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार विवादित भूमि में वादी के हितों के मुकाबले, प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रे
इटावा जिला कोटा

कम 1–5 की माता छीता को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं हुए है। छीता की मृत्यु हो चुकी है। फलतः प्रतिवादी कम 1–5 को भी विवादित भूमि में वादी के हितों के मुकाबले, किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं हो सकते है। इसलिए प्रतिवादी कम 1–5 राजस्व अभिलेख हो रहे माता छीता का अंकन विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रभावी होने से विलोपित करने की प्रार्थना करते है।

यह है कि विवादित भूमि पैतृक होने से प्रतिवादी कम 7,8,9, जन्म से ही अधिकारी /हित उत्पन्न हो गया है व वादीगण,प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने निहित हिस्से की भूमि पर खातेदारी की धोषणा करवाने के अधिकारी है जिसमें वादी सहमत है।

अतः राजीनामा न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 की खाता संख्या 18 में खसरा संख्या 136 रकबा 1.80है0, खसरा संख्या 53 रकबा 4.22है0, खसरा संख्या 6 रकबा 1.75है0, खसरा संख्या 84 रकबा 0.45 है0, कुल 4 किता की 8.22 है0 भूमि स्थित है।

ग्राम खेडली बोरादा पटवार हलका पीपल्दा खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 28 में खसरा संख्या 13 रकबा 0.96है0 खसरा संख्या 14 रकबा 2.16है0, खसरा संख्या 16 रकबा 1.99है0, खसरा संख्या 238 रकबा 0.40है, खसरा संख्या 25 रकबा 0.57है0, खसरा संख्या 40 रकबा 1.28है0 कुल 6 किता की 7.36 है0 भूमि मे छीता पुत्री नेनगा जाति मीना का नाम विलोपित कर वादी के साथ साथ प्रतिवादी कम 7,8, को समभाग से खातेदार धोषित कर दिया जावे। तदनुसार राजस्व अभिलेख मे अंकित करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान करने की कृपा करे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकार अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार पक्षकार शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है, जिसके अधीन मीना जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र होने की स्थिति में, पुत्री को कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार विवादित भूमि में वादी के हितों के मुकाबले, प्रतिवादी कम 1–5 की माता छीता को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं हुए है। छीता की मृत्यु हो चुकी है। फलतः प्रतिवादी कम 1–5 को भी विवादित भूमि में वादी के हितों के मुकाबले, किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं हो सकते है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर कि ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 की खाता संख्या 18 में खसरा संख्या 136 रकबा 1.80है0, खसरा संख्या 53 रकबा 4.22है0, खसरा संख्या 6 रकबा 1.75है0, खसरा संख्या 84 रकबा 0.45 है0, कुल 4 किता की 8.22 है0 भूमि तथा ग्राम खेडली बोरादा पटवार हलका पीपल्दा खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 28 में खसरा संख्या 13 रकबा 0.96है0 खसरा संख्या 14 रकबा 2.16है0, खसरा संख्या 16

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

रकबा 1.99है0, खसरा संख्या 238 रकबा 0.40है0, खसरा सं0 25 रकबा 0.57है0, खसरा संख्या 40 रकबा 1.28है0 कुल 6 किता की 7.36 है0 भूमि छीता पुत्री नेनगा जाति मीना का नाम विलोपित कर वादी के साथ साथ प्रतिवादी कम 7,8, को समभाग से खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात् यदि रहनभार है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिकी मुर्तिव की जावे।

न्यायालय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा

"1"

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
49/2022	22/06/2022	27/07/2023

1. छीतर आयु 58 वर्ष पुत्र नेनगा जाति मीना निवासी किशनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

2. महावीर प्रसाद पुत्र रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. मदनलाल पुत्र रामकुवाँर पुत्र रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
4. नेमीचन्द पुत्र रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
5. मुरलीधर पुत्र रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
6. रूक्मणी पुत्री रामकुवाँर (माता का नाम छीता) जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
7. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. सोहिन्द्र कुमार पुत्र छीतर जाति मीना निवासी किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
9. योगेन्द्र कुमार पुत्र छीतर जाति मीना निवासी किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
10. तस्वीर पत्नि छीतर जाति मीना निवासी किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

मिसल नं0 49/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी वकील श्री कमल कुमार बंसल एंव मिनजानिब रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री भागवन्त सिंह आसावत मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर कि ग्राम

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 की खाता संख्या 18 में खसरा संख्या 136 रकबा 1.80है0, खसरा संख्या 53 रकबा 4.22है0, खसरा संख्या 6 रकबा 1.75है0, खसरा संख्या 84 रकबा 0.45 है0, कुल 4 किता की 8.22 है0 भूमि तथा ग्राम खेडली बोरादा पटवार हलका पीपल्दा खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 28 में खसरा संख्या 13 रकबा 0.96है0 खसरा संख्या 14 रकबा 2.16है0, खसरा संख्या 16 रकबा 1.99है0, खसरा संख्या 238 रकबा 0.40है0, खसरा संख्या 25 रकबा 0.57 है0, खसरा संख्या 40 रकबा 1.28 है0 कुल 6 किता की 7.36 है0 भूमि मे छीता पुत्री नेनगा जाति मीना का नाम विलोपित कर वादी के साथ साथ प्रतिवादी कम 7,8, को समभाग से खातेदार धोषित कर दिया जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात् यदि रहनभार है तो यथावत रहेगा

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज 27.07.2023 को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपयै	रूपयै
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेंहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा